



31911

इलाहा 2296710
2296710

नव लाला केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पंक्रांत : 22/03/05/76/एफ/2015 16

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनानामत भिन्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचओडीएफएससी० बैंक	50100099245715	II SC Code HDFC 00011112	236.43

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से ग्राप्त धनराशि के संपेत वर्किंग कास्ट/लेबर सेस/अग्रिम का रामायोजनोपराना धनराशि का प्रेषण						वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का रामायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
			वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का रामायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि	वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का रामायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
लखनऊ/ उत्तराव हाता योग	अनु० ३७/८३ पीएलए/बजार	176	229.97	6.46	236.43	0.00	236.43	229.97	6.46	236.43	0.00	236.43	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनानामत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी रुनिशित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, उस पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियोगिता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्ययतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कारण करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एम०३००१०१० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा-

- समरत कार्य गूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस गूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की गूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समरत निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान राशोधित दरों पर दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्माण किये गये हैं।



319/2

दूरभाष 2280/03
2206710

नव चौहानी कोन्स. 10 अमृतक मार्ग, लाहौर 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- ६- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य राकार के निर्देशानुसार परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को दूड़ा के भाघ्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- ७- सृजित की गई परिवापत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (धूमएल०बी०) को कस्ता होगा और उक्त का प्रभाग पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

मवदीर,
(लाल/प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
२. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन निय० इकाई सूडा लखनऊ।
३. परियोजना अधिकारी सूडा
४. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

लाल/प्रताप सिंह
पिता नियन्त्रक